Dated 03/06/2020 D.El.Ed 2nd Sem 2019-21 प्रारम्भिक शिक्षा के नवीन प्रभाव Time 10:15-11:00

* नामांकन के सार्वभौमीकरण के मार्ग में बधायें या कठिनाइयाँ

(1) अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान तो भारतीय संविधान में किया गया है। किन्तु हमारी केन्द्रीय और राज्य सरकारें इसे ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं कर पायी हैं। इसका पालन न करने वालों और न करवाने वालों के लिये किसी तरह की सख्ती का प्रावधान नहीं रखा गया है।

* नामांकन के सार्वभौमीकरण में बाधाओं या कठिनाइयों को दूर करने के लिये सुझाव -

(1) बालकों के लिये एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर निम्न प्राथमिक और दो तीन किलोमीटर की दूरी के अन्दर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाये।

(2) आर्थिक सहायता जाति और सम्प्रदाय के आधार पर न देकर उन सब व्यक्तियों को दी जाये, जो गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

* व्यापित्व के सार्वभौमीकरण में बधाएँ या कठिनाइयाँ

① अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी कठोर अधिनियम का न होना।

② परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली का दोषपूर्ण होना।

③ प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव और उनका ईमानदारी, लगन व कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य न करना।

* स्थापित्व के सार्वभौमीकरण में बाधाओं या कठिनाइयों को दूर करने के लिये सुझाव—

① विद्यालय सुसज्जित, सौन्दर्यपूर्ण और सभी सुविधाओं से पूर्ण हो, जिसमें अध्यापन करने के लिये बालक लालायित हों।

② गृह-कार्य देने की अपेक्षा कक्षा-कार्य पर अधिक बल दिया जाय।

③ परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार किया जाय।

* प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण संबन्धी प्रमुख कार्यक्रम—

① ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड।
② वैकल्पिक शिक्षा योजना।
③ सर्व शिक्षा कार्यक्रम।
④ स्कूल चलो अभियान।
⑤ मध्याह्न भोजन योजना।

* भारतीय संविधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य नीति-निर्देशक तत्व तथा शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान—

किसी भी राष्ट्र के दर्शन को मार्गदर्शक के रूप में निर्धारित करने के लिये उस राष्ट्र का अपना संविधान होता है। यह संवि-

Scanned with CamScanner

संविधान ही राष्ट्र की जनता के अधिकारों और हितों की रक्षा करने तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में उसके कल्याण के लिये कार्य करने में सरकार को मार्गदर्शन तथा दिशा प्रदान करता है संविधान के अभाव में राष्ट्र में एक संगठित राजनैतिक तन्त्र के स्थान पर अस्त व्यस्तता और अराजकता व्याप्त रहेगी। अतः प्रत्येक राष्ट्र के लिये उसका अपना संविधान अनिवार्य है, चाहे उसका राजनीतिक तन्त्र किसी भी प्रकार का क्यों न हो।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना —

" हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोक तन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिये तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर, 1949 ई० को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

HARVESH CHANDRA
ASSISTANT PROFESSOR
03/06/2020.

Scanned with CamScanner